न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, आई.ए.एस.

आवेदनपत्र संख्या 08/2014
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

श्रीमती कमला आयु 46 वर्ष, धर्मपत्नी श्री नन्दराम, आत्मजा श्री भागीरथ आत्मज श्री बेगाराम, जाट, गांव ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.....आवेदिका

बनाम

1. भागीरथ,
2. धनराज एवं
3. श्रीभगवान आत्मजन श्री बेगाराम, जाट, गांव ततारसर तहसील व जिला श्रीगांगनगर
4. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर
5. श्रीमती राधा आत्मजा श्री भागीरथ धर्मपत्नी श्री ओम, जाट, चक 6 एच.एच. ढाणी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
6. श्रीमती कलावती आत्मजा श्री भागीरथ धर्मपत्नी श्री देवीलाल, जाट, कुम्हारावाली तहसील रायसिंहनगर,
7. श्रीमती शारदा आत्मजा श्री भागीरथ धर्मपत्नी श्री श्योप्रकाश, जाट गोदारा, सांवतसर तहसील पदमपुर,
8. श्रीमती सरोज आत्मजा श्री भागीरथ धर्मपत्नी श्री नरेन्द्र, जाट, गांव सांवतसर तहसील पदमपुर,
9. श्रीमती बबीता आत्मजा श्री भागीरथ धर्मपत्नी श्री सूरजभान, जाट, सरदारपुरा बास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ,
10. श्रीमती अनीता आत्मजा श्री भागीरथ धर्मपत्नी श्री सुभाष, जाट, भादवावाला तहसील रायसिंहनगर,
11. इन्द्राज,
12. बृजलाल एवं
13. बलराम आत्म्जन श्री भागीरथ, जाट, गांव ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.....अनावेदकगण

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
( फास्ट ट्रेक ) श्रीगंगानगर

उपस्थिति– श्री सुभाष मिढ़ा (आवेदिका)
श्री मोहनलाल माहर(अनावेदकगण)
पैरोकार राज (अनावेदक–4)

दिनांक 17 सितम्बर, 2018

## – आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 12 एल.एल. तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12/52 मुरब्बा नम्बर 10(23.10), मुरब्बा नम्बर 10(0.10) खाल, मुरब्बा नम्बर 11(24.10) एवं 0.10 बीघा खाल, मुरब्बा नम्बर 26(24.00), मुरब्बा नम्बर 32(24.10) एवं 0.10 बीघा खाल, मुरब्बा नम्बर 33(23.00) एवं 0.08 बीघा खाल कुल 121.12 बीघा कृषि भूमि आवेदिका के दादा के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी. जिनकी मृत्योपरान्त अनावेदक संख्या 1 से 3 के नाम पर नामान्तरकरण संख्या 32 दिनांक 27 अक्तूबर, 1962 दर्ज किया गया. वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार खाता संख्या 21/19 मुरब्बा नम्बर 11, 12, 23, 27, 33 एवं 34 की कुल 32.283 हैक्टर कृषि भूमि के रूप मे दर्ज है. तथा अनावेदक के 1/3 हिस्सा में से 1/11 हिस्सा बनता है किन्तु आवेदिका को न तो ठेका हिस्सा राशि दी जा रही है बल्कि अनावेदकगण द्वारा उसका नाजायज लाभ उठाया जा रहा है.ऐसी स्थिति में, आवेदिका अपने हिस्सा की कृषि भूमि की घोषणा करवाकर विभाजन करवाते हुऐ अपने हिस्सा की कृषि भूमि प्राप्त करने की अधिकारिणी है. अनावेदक संख्या 1 से 3 आवेदिका के हिस्सा की कृषि भूमि को हड़प करने के लिये गलत नीयत से अन्तरित करने में प्रयासरत हैं. यदि अनावेदक संख्या 1 से 3 अपनी योजना में सफल हो जाते हैं तो आवेदिका को अपूर्णनीय क्षति होगी क्योंकि आवेदिका को उसके पति द्वारा छोड रखा है, एवं वादपत्र का उद्देश्य समाप्त प्रायः होकर अनावश्यक दिक्कतें पैदा होगी. इसके अतिरिक्त, अनावेदकगण आवेदिका के हिस्सा की कृषि भूमि अपने पुत्रों के नाम पर दर्ज करवाने में भी प्रयासरत हैं. इस प्रकार अनावेदक संख्या 1 से 3 येनकेन आवेदिका को क्षति पहुंचाने में प्रयासरत हैं. ऐसी परिस्थिति में, मूल वाद के निस्तारण तक, अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी न्यायहित में आवश्यक है ताकि आवेदिका के हित सुरक्षित हो सके. प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति होने के कारण आवेदिका का हिस्सा प्रमाणित है. इस प्रकार तीनों बिन्दू आवेदिका के पक्ष में स्पष्ट हैं. इसलिये अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से अनावेदक संख्या 1 से 3 को किसी भी प्रकार की क्षति नही होगी. अन्यथा आवेदिका अपने अधिकारों से वंचित हो सकती है. इस प्रकार आवेदिका द्वारा, मूल वाद के निस्तारण तक, चक 12 एल.एल. तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 21/19 मुरब्बा नम्बर 11, 12, 23, 27, 33 एवं 34 की कुल 32.283 हैक्टर कृषि भूमि एवं कृषि भूमि के किसी भी भाग को बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित करने एवं राजस्व अभिलेखों की वर्तमान स्थिति को यथावत कायम रखने हेतु अनावेक संख्या 1 से 3 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 12 एल.एल. की जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071, नामान्तरकरण संख्या 32 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

अनावेदक संख्या 1 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. अनावेदक संख्या 2 की तलबी हेतु जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर भी उपस्थित नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 2 अप्रेल, 2014 द्वारा अनावेदक संख्या 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. अनावेदक संख्या 3 की तलबी हेतु जारी पंजीकृत नोटिस की पावती प्राप्त होने पर उसे रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नही आने के परिणामतः आदेश दिनांक 30 अगस्त, 2017 द्वारा अनावेदक संख्या 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. अनावेदक संख्या 5 से 13 की तलबी हेतु जारी पंजीकृत नोटिस दिनांक 1 दिसम्बर, 2014 को पंजीबद्व करवाये गये, जिनकी पावतियां प्राप्त होने के बाद दिनांक 14 जनवरी, 2015 को अनावेदक संख्या 5 से 13 के उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2015 द्वारा अनावेदक संख्या 5 से 13 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. अनावेदक संख्या 4 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

आवेदिका द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 10 अप्रेल, 2014 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार आवेदिका द्वारा मूल वादपत्र में अनवेदक संख्या 1 से 4 के अतिरिक्त श्रीमती राधारानी, श्रीमती कलावती, श्रीमती शारदा, श्रीमती सरोज, श्रीमती अनीता, इन्द्राज, बृजलाल एवं बलराम को भी प्रतिपक्षकार बनाया गया है. मा. उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार मूल वाद के तमाम पक्षकारान को विविध आवेदनपत्र में प्रतिपक्षकार बनाया जाना आवश्यक है जिसकी अनुपालना में मूल वादपत्र में प्रतिपक्षकार संख्या 5 से 13 को विविध आवेदनपत्र में आवश्यक प्रतिपक्षकार बनाया जाना अपेक्षित है क्योंकि आवेदिका द्वारा जिस दिवस को मूल वादपत्र प्रस्तुत किया गया था उसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने पुत्रों के पक्ष में उपहारपत्र तहरीर एवं तकमील करवाये जाने की जानकारी नहीं थी. इस वजह से उसके द्वारा विविध आवेदनपत्र में इन्द्राज, बृजलाल एवं बलराम का नाम अंकित नही किया गया. इस प्रकार आवेदिका द्वारा मूल वाद के प्रतिपक्षकार संख्या 5 से 13 को विविध आवेदनपत्र में प्रतिपक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया. जिस पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 30 मई, 2014 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया गया. यथा संशोधित आवेदनपत्र शीर्षक प्रस्तुत किया गया.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (... ) श्रीगंगानगर

अनावेदक संख्या 1 की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 4 अप्रेल, 2014 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 में मूलभूत परिवर्तन हो चुका है इसलिये आवेदिका

का प्रथमदृष्टया प्रकरण ही नहीं बनता. आवेदिका विवाहिता है जिसके हक व अधिकार ससुराल में सुरक्षित हैं. पति–पत्नी के मध्य यदि कोई सामाजिक विवाद है तो वह अपने पति से भरणपोषण या अन्य हक व अधिकार प्राप्त कर सकती है. आवेदिका केवल अनावेदक संख्या 1 से ही अनुतोष प्राप्त कर सकती है किन्तु अनावेदक संख्या 1 के नाम पर राजस्व अभिलेख में कोई कृषि भूमि दर्ज ही नहीं है क्योंकि अनावेदक संख्या 1 द्वारा अपने नाम पर दर्ज कृषि भूमि को अनावेदक संख्या 11 से 13 को अन्तरित की जा चुकी है. जिसका नामान्तरकरण दर्ज किया जा चुका है जिन्हें आवेदनपत्र में प्रतिपक्षकार नहीं बनाया गया है. इसलिये आवेदनपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. प्रश्नगत कृषि भूमि अन्तरित की जा चुकी है जिसका राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किये जा चुके है ऐसी स्थिति में,आवेदनपत्र निष्प्रभावी होने के परिणामतः निरस्त किये जाने योग्य है. अन्य कथनों में अंकित किया गया कि आवेदनपत्र में आवश्यक पक्षकारों क संयोजन एवं कुसंयोजन से आवेदनपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. प्रश्नगत कृषि भूमि का पूर्व में ही अन्तरण होने के परिणामतः विचाराधीन आवेदनपत्र निष्प्रभावी हो चुका है. प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत पंजीबद्व बंटवारानामा निष्पादित किया जाकर वर्तमान में कृषि भूमि अनावेदक संख्या 1 की स्वःर्जित खातेदारी है जिसमें अनावेदक संख्या 1 के जीवनकाल में आवेदिका का कोई हक व अधिकार नही है. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

अनावेदक संख्या 3 राज्यपक्ष की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 2 मई, 2014 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय पारित किया जायेगा उसी अनुरूप अभिलेखों में कार्यवाही कर दी जायेगी.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु महत्वपूर्ण तीनों बिन्दुओं कमशः प्रथमदृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति की विवेचना की गयी.

जवाब आवेदनपत्र में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार राजस्व अभिलेखों ने अनावेदक संख्या 1 के नाम पर दर्ज कृषि भूमि को अनावेदक संख्या 11 से 13 को अन्तरित किये जाने के तथ्य किये गये हैं जिनकी बाबत आवेदिका की ओर से किसी भी प्रकार के पृथक तथ्य प्रस्तत नहीं किये

गये. वर्तमान में चूंकि, अनावेदक संख्या 1 के नाम पर प्रश्नगत कृषि भूमि अथवा उसके किसी भाग पर कब्जा ही नही है. ऐसी स्थिति में, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति का बिन्दू आवेदिका के पक्ष में नही पाया जाता.

अतः आवेदनपत्र अस्वीकार किया जाता है.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 17 सितम्बर, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.